रजि. 2199-57 ❋ अन्धकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा है एक दीप जलाएँ। ❋ अप्रैल-जून, 2024

उजाला न्यूज़ लेटर

इण्डिया लिटरेसी बोर्ड (लिटरेसी हाउस), लखनऊ
संस्थापिका : डॉ. वेल्दी एच. फिशर
वर्ष-69 अंक : 02

Associate Institutions: Welthy Fisher Children's Academy, Jan Shikshan Sansthan, Lucknow, Kanpur, Dehradun and State Resource Centre.
Phone: 0522-2470268, E-mail: directorilblko@gmail.com, directorlh@rediffmail.com
http://www.indialiteracyboard.org directorilblko@gmail.com india literacy board indialiteracyboard

इण्डिया लिटरेसी बोर्ड, साक्षरता निकेतन की गतिविधियाँ

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन : इण्डिया लिटरेसी बोर्ड, साक्षरता निकेतन परिसर में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में योग दिवस का आयोजन किया गया। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा "योग स्वयं और समाज के लिए" थीम निर्धारित की गई। योग दिवस के इस आयोजन में इण्डिया लिटरेसी बोर्ड की समस्त इकाईयों ने एक साथ प्रतिभाग किया। इस आयोजन में बोर्ड की समस्त इकाईयों के कार्मिक एवं अधिकारीगण सम्मिलित हुए और योगाभ्यास किया। इण्डिया लिटरेसी बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी श्री सुधाकर मान सिंह ने उपस्थित जनों को शरीर में होने वाली ब्याधियों से छुटकारा पाने वाले योगासनों की जानकारी देते हुए योग के प्रति जागरुक किया गया। □□□

केन्द्रीय पुस्तकालय, इण्डिया लिटरेसी बोर्ड

इण्डिया लिटरेसी बोर्ड द्वारा संचालित केन्द्रीय पुस्तकालय के अन्तर्गत पुस्तकों का एक विशाल संग्रह है। इसमें दुर्लभ एवं प्राचीन महत्व की अनेक पुस्तकें हैं। पुस्तकालय का लाभ इण्डिया लिटरेसी बोर्ड के कर्मचारियों के साथ ही स्कूल के छात्र-छात्राओं एवं अन्य सुधी पाठकों को प्राप्त होता रहता है। केन्द्रीय पुस्तकालय द्वारा पुस्तकालय के रख-रखाव एवं पुस्तकों के संरक्षण की दिशा में काफी कार्य किए गए। इनमें माह अप्रैल, 2024 से जून, 2024 के मध्य प्रमुखता से लगभग आठ हजार पुस्तकों की इन्ट्री लाइब्रेरी साफ्टवेयर पर की गई। इसके साथ ही आठ हजार पुस्तकों का क्लासिफिकेशन किया गया। दो सौ पचास पुस्तकों पर एसेशन नम्बर डाला गया

तथा 100 फटी पुस्तकों की बाइंडिंग करवा कर उन्हें पुनः प्रयोग में लिए जाने योग्य बनाया गया और इसके साथ ही इन्ट्री की गई पुस्तकों को क्लासिफिकेशन के अनुक्रम में रैक में प्रतिस्थापित किया गया।

स्कूल के छात्र-छात्राओं के उपयोगार्थ कुल 117 पुस्तकों को क्रय किया गया। इस पर लगभग 26,497 की धनराशि व्यय हुई। इस दौरान पुस्तकालय में आने वाले पाठकों की औसतन संख्या दो हजार से अधिक रही।

□□□

कृषि प्रक्षेत्र बिजनौर एवं नीवां की गतिविधियाँ

मृदा सुधार कार्यक्रम का परिणामः मा. अध्यक्ष, इण्डिया लिटरेसी बोर्ड के विशेष प्रयासों से प्राप्त प्रेसमड एवं जिप्सम के प्रयोग से सफलतापूर्वक किये गये मृदा सुधार के फलस्वरूप बिजनौर एवं नीवां कृषि प्रक्षेत्र की ऊसर प्रभावित भूमि में सुधार परिलक्षित हुआ। परिणाम स्वरूप धान का औसत उत्पादन वर्ष 2022-23 के स्तर 8.70 कुन्तल प्रति एकड़ से बढ़कर 11.23 कुन्तल प्रति एकड़ प्राप्त हुआ। इसी प्रकार गेहूँ का औसत उत्पादन वर्ष 2022-23 के स्तर 10.41 कुन्तल प्रति एकड़ से बढ़कर 14.43 कुन्तल प्रति एकड़ प्राप्त हुआ। धान का कुल उत्पादन 527.95 कुन्तल एवं गेहूँ का उत्पादन 187.60 कुन्तल रहा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में बिजनौर कृषि प्रक्षेत्र पर 12 एकड़ एवं नीवां कृषि प्रक्षेत्र पर 08 एकड़ भूमि पर जिप्सम एवं प्रेसमड़ से भूमि सुधार किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु खेत की तैयारी, मेड़बन्दी तथा समतलीकरण आदि का कार्य प्रगति पर है।

धान की आगामी फसल हेतु रोपाई हेतु बिजनौर कृषि प्रक्षेत्र की 32 एकड़ भूमि एवं नीवां कृषि प्रक्षेत्र की 15 एकड़ भूमि पर धान नर्सरी की बुवाई का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। माह जुलाई के मध्य तक धान की रोपाई का कार्य पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रायोगिक खेतीः के रूप में बिजनौर कृषि प्रक्षेत्र पर प्याज, मक्का एवं खीरे की खेती की गई। इसी प्रकार नीवां कृषि प्रक्षेत्र पर भिण्डी एवं तरोई की खेती की गयी। प्रयोगिक खेती के उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए है।

निष्प्रयोज्य भूमि का उपयोगः कृषि प्रक्षेत्र बिजनौर पर वर्षों पुराने पोल्ट्री फार्म तथा गैराज के पीछे की निष्प्रयोज्य भूमि की सफाई कराकर लगभग 2.5 एकड़ कृषि योग्य प्लाट तैयार कराया जा चुका है। इसी प्रकार डेयरी शेड के पीछे लगभग 3-4 एकड़ क्षेत्रफल निष्प्रयोज्य भूमि की सफाई एवं समतलीकरण का कार्य कराया गया। इस प्रकार लगभग 5-6 एकड़ कृषि योग्य अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होगी, जिस पर कृषि कार्य सम्पादित किये जा सकेंगे।

गन्ने की खेतीः कषि प्रक्षेत्र बिजनौर पर 02 एकड़ क्षेत्रफल में शरदकालीन गन्ना एवं नीवां कृषि प्रक्षेत्र पर 07 एकड़ क्षेत्रफल में शरदकालीन गन्ना तथा 05 एकड़ क्षेत्रफल में बसन्तकालीन गन्ना की खेती गन्ना विकास विभाग, उ.प्र. एवं मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि. हैदरगढ़ इकाई के तकनीकी सहयोग से कराई जा रही है। गन्ने की फसल स्वस्थ है तथा उसमें सिंचाई तथा कोरोजन दवा एवं यूरिया का छिड़काव कराया जा रहा है।

कृषि संयंत्रों का क्रयः मा. अध्यक्ष, इण्डिया लिटरेसी बोर्ड के विशेष प्रयास से आंशिक अनुदान पर गन्ना खेती हेतु नये पावर टिलर का क्रय मेसर्स वलरामपुर चीनी मिल्स लि. हैदरगढ़ इकाई के माध्यम से किया गया है। बिजनौर कृषि प्रक्षेत्र हेतु नये हैरो एवं कल्टीवेटर का क्रय किया गया है।

□□□

इण्डिया लिटरेसी बोर्ड, साक्षरता निकेतन के वर्तमान सदस्य

1.	श्री संजय आर. भूसरेड्डी, आई.ए.एस. (से.नि.)	अध्यक्ष
2.	डॉ. सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह	उपाध्यक्ष
3.	श्री एन.के.एस. चौहान, आई.ए.एस. (से.नि.)	कोषाध्यक्ष
4.	न्यायमूर्ति राजमणि चौहान (से.नि.)	सदस्य
5.	पद्म भूषण एवं पद्मश्री श्री चण्डी प्रसाद भट्ट	सदस्य
6.	श्री जी. पटनायक, आई.ए.एस. (से.नि.)	सदस्य
7.	श्री भानु प्रताप सिंह, आई.पी.एस. (से.नि.)	सदस्य
8.	डॉ. उर्वशी साहनी, शिक्षाविद	सदस्य
9.	श्री विष्णु प्रताप सिंह, पूर्व निदेशक (कृषि), उ.प्र.	सदस्य
10.	सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
11.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन	सदस्य
12.	अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ.प्र. शासन	सदस्य
13.	कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	सदस्य
14.	कुलपति, जी.बी. पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी वि.वि., पंतनगर	सदस्य
15.	कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौ. वि.वि., कानपुर	सदस्य
16.	कुलपति, नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, अयोध्या	सदस्य
17.	अध्यक्ष, भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, नई दिल्ली	सदस्य
18.	श्री राजेन्द्र सिंह रावत, लेखाकार-कम-कैशियर	वरिष्ठ स्टाफ प्रतिनिधि
19.	श्री दया शंकर, मेस सहायक	कनिष्ठ स्टाफ प्रतिनिधि
20.	सुश्री सन्ध्या तिवारी, आई.ए.एस. (से.नि.)	सदस्य-सचिव

वेल्दी फिशर चिल्ड्रेन्स अकादमी द्वारा आयोजित गतिविधियाँ

गर्मी की छुट्टियों के बाद 24 जून, 2024 से दसवीं कक्षा के लिए स्कूल फिर से खुल गया है तथा कक्षा नर्सरी से कक्षा आठवीं तक के छात्रों की कक्षाएँ दिनांक 01 जुलाई 2024 से पुनः प्रारम्भ की जाएँगी। दिनांक 01 अप्रैल 2024 से प्रारम्भ हुए इस शैक्षणिक सत्र (2024-25) में कक्षा नर्सरी से कक्षा 10 तक कुल 605 छात्र-छात्राएँ हैं।

शिक्षक प्रशिक्षण सत्र आयोजित : दिनांक 24.04.2024 को विवेकानन्द हाल में स्टडी हाल स्कूल के प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में 'शिक्षक कौशल' पर एक शिक्षक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र के माध्यम से, उन्होंने नर्सरी से दसवीं कक्षा तक के शिक्षकों को कुछ नवीन शिक्षण कौशल का ज्ञान कराया। इस सत्र में यूनिट-टेस्ट-I दिनांक 01 मई, 2024 से 06 मई, 2024 के मध्य आयोजित किए गए।

कला और शिल्प पर दो दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण सत्र का अयोजन : इसी क्रम में स्टडी हॉल प्रशिक्षक सुश्री आकांक्षा एवं सुश्री रोशन द्वारा 'कला और शिल्प' पर दो दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण सत्र दिनांक 8 और 9 मई 2024 को आयोजित किया गया। इसमें उपस्थित छात्रों और शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के आर्ट डिजाइन और पैटर्न बनाने के लिए वाटर कलर, पेंसिल कलर, स्केच पेन आदि का उपयोग करना सिखाया।

मदर्स-डे का आयोजन : अकादमी परिसर में दिनांक 13 मई 2024 को मदर्स-डे का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दिन विद्यार्थियों ने सुन्दर कार्ड बनाए। असेम्बली के दौरान अपनी माँ के लिए कविताएँ पढ़ीं और मधुर गीत गाए।

विश्व पर्यावरण दिवस : दिनांक 5 जून 2024 को 'विश्व पर्यावरण दिवस' मनाया गया। इसमें आनलाइन गतिविधियाँ आयोजित की गईं जिसमें छात्रों को पूर्ण समर्पित भाव से मानव जाति की भलाई के लिए स्वच्छ और हरित पर्यावरण के महत्व के बारे में जागरूक किया गया।

शैक्षिक गतिविधियाँ : इस सत्र 2024-25 में कक्षा IX और X के छात्रों के लिए 15 मई 2024 से 15 जून 2024 तक 'एक बुनियादी कम्प्यूटर पाठ्यक्रम' आयोजित किया गया था। जिससे कि छात्र कम्प्यूटर को अपने दैनिक जीवन में लागू करना सीख सकें। कक्षा अभ्यास में छात्रों को कक्षा गतिविधि के दौरान प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य सिखाये जाते हैं जैसे कहानी सुनाना, कविता पाठ करना, वाक्य पूरा करना आदि।

हाई स्कूल परीक्षा परिणाम : सत्र 2023-24 की बोर्ड हाईस्कूल परीक्षा में अकादमी के सभी छात्र अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए। सभी छात्रों ने कम से कम तीन विषयों में विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त की है। 30 विद्यार्थियों में से 15 विद्यार्थियों ने 75% से अधिक अंक प्राप्त किये हैं। शीर्ष तीन छात्रों में क्रमशः (1) गौरी पाण्डेय, 92% (2) फिजा अंसारी, 87.3% तथा (3) सुमित कुमार सरोज 86.3% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए।

□□□

राज्य संसाधन केन्द्र, उ.प्र. की गतिविधि

राज्य संसाधन केन्द्र उ.प्र. द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में संचालित किए जाने वाले साक्षरता कार्यकम में 15 आयुवर्ग के असाक्षर महिला एव पुरुषों को साक्षर किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस हेतु राज्य संसाधन केन्द्र उ.प्र. द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्य योजना 2024-25 में जिला बहराइच जिला उन्नाव एवं प्रयागराज में कुल 60 साक्षरता केन्द्रों का संचालन प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त लखनऊ नगर निगम के ऐशबाग वार्ड में भी दो साक्षरता केन्द्रों को संचालित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त साक्षरता केन्द्रों के संचालन हेतु मार्च 2024 में राज्य संसाधन केन्द्र उ.प्र. के प्रबन्ध निकाय की सम्पन्न हुई बैठक में स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है।

साक्षरता केन्द्रों के संचालन के सम्बन्ध में यह तथ्य भी संज्ञान में लाना है कि 6 माह साक्षरता केन्द्रों के संचालन के पश्चात् साक्षर किये गये लाभार्थियों की साक्षरता परीक्षा राज्य सरकार के शिक्षा विभाग एवं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के माध्यम से सम्पन्न कराई जाएगी। एन. आई. ओ. एस. द्वारा वर्ष में दो बार सितम्बर व मार्च माह में यह परीक्षा सभी जनपदों में सम्पन्न कराई जाती है।

चयनित जिलों में साक्षरता केन्द्रों के संचालन में असाक्षर लाभार्थियों का चिन्हांकन, प्रेरकों का चयन एवं उनका प्रशिक्षण, असाक्षर लाभार्थियों में पठन-पाठन सामग्री का वितरण आदि महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पन्न करने के पश्चात् 05 सितम्बर 2024 से अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर उक्त सभी साक्षरता केन्द्रों का संचालन कराया जाना प्रस्तावित है।

सामान्यतः एन. आई. ओ. एस. द्वारा मार्च के दूसरे अथवा तीसरे सप्ताह में सभी जिलों में साक्षरता परीक्षा सम्पन्न कराई जाती है। यदि 8 सितम्बर 2024 से 6 माह आधारित उक्त साक्षरता केन्द्रों का संचालन कराया जाता है तो 7 मार्च, 2025 को 6 माह में लाभार्थियों का पठन-पाठन पूर्ण हो जाएगा।

इस प्रकार साक्षरता परीक्षा में प्रतिभाग कराने के बीच अधिक अन्तराल नहीं होने पाएगा। इसी लिए सितम्बर 2024 माह में साक्षरता केन्द्रों का संचालन किया जाना प्रस्तावित किया गया है। क्योंकि पठन-पाठन पूर्ण होने एवं साक्षरता परीक्षा के बीच ज्यादा अन्तराल होने पर लाभार्थी सीखी गई दक्षता को भूलने लगते है और परीक्षा में प्रतिभाग करने में उनकी रूचि भी समाप्त होने लगती है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम संचालन में कभी-कभी यह भी पाया जाता है कि अधिक अन्तराल होने पर अनेक लाभार्थी अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा खेती-खलिहानी के काम में व्यवस्थता के कारण परीक्षा देने हेतु समय नहीं निकाल पाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे लाभार्थी रोजगार एवं नौकरी की तलाश में गाँव से शहर की ओर पलायन कर जाते हैं।

इस बीच केन्द्रों के संचालन सम्बन्धी सभी औपचारिकताओं यथा-असाक्षर लाभार्थियों का चिन्हांकन, प्रेरकों का चयन एवं उनका प्रशिक्षण तथा असाक्षर लाभार्थियों को पठन-पाठन सामग्री उपलब्ध कराने का कार्य सम्पन्न कर लिया जायेगा।

□□□

शिक्षा है अनमोल रतन।
पढ़ने का सब करो जतन।।

जन शिक्षण संस्थान, लखनऊ की गतिविधियाँ

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन संचालित जन शिक्षण संस्थान (सा. नि.) लखनऊ के निदेशक सौरभ कुमार खरे के निर्देशन में दिनांक 07.04.2024 को उदयपुर निगोहा में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि व्यापार मण्डल अध्यक्ष व पूर्व प्रधान निगोहा सुरेन्द्र दीक्षित ने उपस्थित लोगों को स्वास्थ्य के विभिन्न मुद्दों के प्रति जागरूक किया। उन्होने कहा कि यह दिवस विभिन्न देशों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग करने और एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। कार्यक्रम में जन शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण ले चुके लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गए।

श्रमिक दिवस आयोजित : कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन संचालित जन शिक्षण संस्थान (सा.नि.) लखनऊ के निदेशक सौरभ कुमार खरे के निर्देशन में दिनांक 01 मई, 2024 को प्रशिक्षण केंद्र खुजौली में विश्व श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सहायक प्रबंधक आर्यन रस्तोगी (बैंक ऑफ इंडिया शाखा खुजौली) ने श्रमिकों को बैंक की योजनाओं की जानकारी दी। इस क्रम में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना के अलावा श्रमिकों को रोजगार स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा योजना आदि की जानकारी भी प्रतिभागियों को दी गई।

विश्व तम्बाकू निषेध दिवस आयोजित : जन शिक्षण संस्थान (सा. नि.) लखनऊ द्वारा दिनांक 31 मई, 2024 को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाया गया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री अमित मिश्रा, शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट नगर शाखा, लखनऊ ने कहा की तम्बाकू का सेवन करने से वर्तमान समय में संसार में लगभग 8 लाख से अधिक मौतें होती हैं। उन्होंने लोगों को तम्बाकू सेवन के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया। संस्थान के निदेशक श्री सौरभ कुमार खरे ने भी तम्बाकू से होने वाली अनेक बीमारियों के विषय में विस्तार से प्रतिभागियों को बताया।

पर्यावण दिवस आयोजित : जन शिक्षण संस्थान (सा. नि.) लखनऊ में दिनांक 05.06.2024 को पर्यावण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक श्री सौरभ कुमार खरे द्वारा पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर संस्थान के कार्यक्रम अधिकारी, श्री अवधेश कुमार, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, श्री शुभम मिश्रा, लेखाकार-कम-प्रबन्धक, श्री आई. पी. गुप्ता, कम्प्यूटर ऑपरेटर, श्री गौरी शंकर के साथ ही श्री सौरभ भारद्वाज तथा श्री अजय कुमार के द्वारा भी पौधारोपण किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस : जन शिक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्र पर अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस दिनांक 21 जून, 2024 के अवसर पर योगा कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर सम्बन्धित केन्द्र प्रशिक्षकों द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को योग के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। प्रशिक्षकों ने उन्हें दैनिक जीवन में योग को अपनाने के लिए प्रेरित किया।

□□□

उजाला न्यूज़ लेटर

वर्ष-69, अंक : 02
अप्रैल-जून, 2024

संजय आर भूसरेड्डी
आई.ए.एस. (से.नि.)
अवैतनिक अध्यक्ष, इण्डिया लिटरेसी बोर्ड
साक्षरता निकेतन, लखनऊ।

सन्ध्या तिवारी,
आई.ए.एस. (से.नि.)
निदेशक, इण्डिया लिटरेसी बोर्ड
साक्षरता निकेतन, लखनऊ।

सम्पादक
सुधीर कुमार श्रीवास्तव

सम्पादकीय सम्पर्क
सम्पादक, उजाला
साक्षरता निकेतन, पोस्ट-मानस नगर,
कानपुर रोड, लखनऊ-226023
दूरभाष : (0522) 2470268
ई-मेल : ujalamasik1957@gmail.com

कम्पोजिंग एवं डिजाइनिंग
गुड्डू प्रसाद

प्रकाशित लेखों में व्यक्त किए गए विचारों से सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

हाथ की तालीम का तात्पर्य यह होना चाहिए कि शिक्षार्थी ऐसी वस्तुएँ बनाना सीखें, जिन्हें वह बाजार में बेच कर अर्थोपार्जन भी कर सके।

- महात्मा गाँधी

जन शिक्षण संस्थान, कानपुर की गतिविधियाँ

अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का आयोजन : जन शिक्षण संस्थान, कानपुर के सिविल लाइन्स स्थित कार्यालय परिसर में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस (मई दिवस) दिनांक 01 मई, 2024 के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में संस्थान के निदेशक श्री सुशील कुमार पाठक ने "कर्म ही पूजा है" का संदेश देते हुए बताया कि देश के विकास में श्रमिको का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत 01 मई, 1866 को अमेरिका में एक श्रमिक आन्दोलन से हुयी थी और भारत में इसे 01 मई, 1923 से मनाया जाता है। अपने सम्बोधन में उन्होंने बताया कि पहले मजदूरों से रोजाना 15-18 घंटे काम लिया जाता था। आज काम के लिए 8 घंटे की अवधि का निर्धारण और 01 साप्तहिक अवकाश भी श्रमिकों द्वारा किये गये आन्दोलन की ही देन है। श्रमिकों के उत्थान के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाओं से उन्हें लाभान्वित करने की दिशा में सराहनीय प्रयास किये जा रहे है।

विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण : जन शिक्षण संस्थान, कानपुर द्वारा दिनांक 05 जून, 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कार्यालय परिसर एवं सब सेन्टर, पुराना अस्पताल रोड, गाँधी नगर, घाटमपुर में वृक्षारोपण कर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरुक किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मानव विकास समिति के प्रबन्धक डॉ. राम किशन गुप्ता ने कहा कि आज हम अपने फायदे के लिए पेड़ों को काटकर प्रकृति के साथ नहीं वरन अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इससे बढ़ते प्रदूषण के कारण हमारा ही नहीं हमारी भावी पीढ़ी का भविष्य भी खराब हो रहा है। हमें बचाव के रूप में अपने घरों के आसपास कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाने का संकल्प लेना चाहिए। इससे आसपास हरियाली बढ़ेगी और वातावरण का प्रदूषण कम होगा ।

कार्यक्रम में जन शिक्षण संस्थान, कानपुर के निदेशक श्री सुशील कुमार पाठक ने कहा कि पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रहा है और इस समस्या का समाधान केवल वृक्षारोपण ही है। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक श्री सुशील कुमार पाठक, मानव विकास समिति के प्रबन्धक डॉ. रामकिशन गुप्ता, श्री कमल किशोर श्रीवास्तव, कार्यक्रम अधिकारी, श्री नरेश आदि उपस्थित रहे।

प्रमाण-पत्र वितरण कार्यक्रम : जन शिक्षण संस्थान, कानपुर के सब सेन्टर, पुराना अस्पताल रोड, गाँधी नगर, घाटमपुर में असिस्टेंट ड्रेस मेकर एवं ब्यूटी केयर असिस्टेंट प्रशिक्षण के सफल प्रतिभागियों का प्रमाण-पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मानव विकास समिति

के प्रबन्धक एवं समाजसेवी डॉ. राम किशन गुप्ता एवं जन शिक्षण संस्थान, कानपुर के निदेशक श्री सुशील कुमार पाठक द्वारा प्रशिक्षण में सफल प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्रों का वितरण किया गया। इसमें संस्थान के निदेशक ने प्रतिभागियों को रोजगार-स्वरोजगार हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के विषय में जानकारी प्रदान की।

इसी क्रम में दिनांक 21 जून, 2024 को असिस्टेंट ड्रेस मेकर एवं ब्यूटी केयर असिस्टेंट प्रशिक्षण के सफल प्रतिभागियों का प्रमाण-पत्र वितरण कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। इसमें जन शिक्षण संस्थान, कानपुर के निदेशक श्री सुशील कुमार पाठक द्वारा सफल प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र का वितरित किए गए।

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन : जन शिक्षण संस्थान, कानपुर के कार्यालय परिसर में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगा अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 21 जून, 2024 को प्रातः 7:00 बजे किया गया। योग प्रशिक्षिका प्रीति गुप्ता द्वारा संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों को सूर्य नमस्कार, ताॅड़ आसन, वीर आसन, भ्रामरी, कपालभाती, प्राणायाम, तितली आसन, चक्की आसन, त्रिकोण आसन, पर्वत आसन एवं सूक्ष्म क्रियाएँ कराई गईं। उन्होंने उपस्थित जनों से निरोगी काया के लिए योग के महत्व पर चर्चा किया।

इस अवसर पर संस्थान, कानपुर के निदेशक श्री सुशील कुमार पाठक ने कहा कि योग केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी काफी उपयोगी है। यही कारण है कि दुनियाभर में योग को बढ़ावा देने के लिए योग दिवस मनाया जाता है।

चार दिवसीय क्राफ्ट वर्कशॉप आयोजित : जन शिक्षण संस्थान, कानपुर द्वारा पिडीलाइट इण्डिया कम्पनी के सहयोग से दिनांक 25 जून, 2024 से चार दिवसीय क्राफ्ट वर्कशॉप आयोजित की गई। कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों को वेस्ट मैटेरियल का प्रयोग करके सजावटी वस्तुओं के निर्माण की जानकारी दी गई। यह जानकारी पिडीलाइट इण्डिया कम्पनी के सुपर टीचर श्री अनिल मल्होत्रा द्वारा दी गयी।

□□□

जन शिक्षण संस्थान, देहरादून की गतिविधियाँ

वार्षिक कार्य-योजना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 की कार्य-योजना जन शिक्षण संस्थान देहरादून द्वारा यथासमय तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित की गई थी। संस्थान द्वारा प्रेषित उक्त योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गई। योजना की स्वीकृति के पश्चात स्वीकृत कार्य योजना को सम्बन्धित पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री जनमन योजना का संचालन : भारत सरकार की इस अति महत्वपूर्ण योजना को 15 नवम्बर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रारम्भ किया गया था। इस योजना के लिए 24 हजार करोड़ रूपए का बजट प्राविधानित किया गया। इस योजना का क्रियान्वयन 9 सरकारी विभागों के सहयोग से किया जा रहा है।

इसका उद्देश्य सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में चिन्हित किए गए ऐसे 75 समुदायों को जो कमजोर जनजातीय समूह के अन्तर्गत आते हैं, को आर्थिक सहायता तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान किया जाना है जिससे उनका विकास हो सके। योजना के अन्तर्गत सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण आदि की बेहतर सुविधाओं के साथ ही सड़क, दूरसंचार सम्पर्क और स्थायी आजीविका के अवसर आदि प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री जनमन योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, (NIESBUD), उ0 प्र0 वन निगम तथा जन शिक्षण संस्थान, देहरादून के साथ बिजनौर जनपद के नजीबाबाद व कोतवाली तथा अफजलगढ़ विकास खण्डों में पाँच बनधन केन्द्रों में 16 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करने के लिए अनुबन्ध किया गया। उक्त प्रशिक्षण के लिए 5 कार्यकर्ताओं को निस्बड नोयडा द्वारा प्रशिक्षण भी दिया गया है। उपरोक्त कार्यक्रमों के संचालन की स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल से प्राप्त हो गई है।

इसी क्रम में जनपद बिजनौर उ.प्र. के कोतवाली विकास खण्ड के ग्राम पंचायत ढाकिया में पीएम जनमन योजना के अन्तर्गत जन शिक्षण संस्थान देहरादून द्वारा उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनजातीय विपणन संघ की महाप्रबन्धक सुश्री प्रीती टोलिया जी द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण किया गया।

इस प्रकार प्रधानमंत्री जनमन योजना के संचालन से चिन्हित किए गए समुदाओं एवं कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता कर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में सरकार द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है।

□□□

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के संरक्षण हेतु कानून (महिला संरक्षण अधिनियम 2005)

परिवार में महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने के लिए भारत सरकार ने महिला संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया है। इस कानून के अन्तर्गत परिवार में पीड़ित महिला के स्वास्थ्य सुरक्षा, उसको मानसिक या शारीरिक क्षति पहुँचाना अथवा ऐसा करने की नियत रखना, विधि विरूद्ध दहेज या किसी अन्य सम्पत्ति की माँग के लिए प्रताड़ित करना अथवा धमकी देना आदि इसी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए ही यह महिला संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया गया है। यह अधिनियम दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 से देश में लागू किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य घरेलू रिश्तों में हिंसा अथवा मानसिक प्रताड़ना से पीड़ित महिलाओं को विधिक संरक्षण प्रदान करना है।

एक समय हमारे देश में जब किसी लड़की का जन्म होता है तो घर के लोग यह कहते थे कि घर में लक्ष्मी ने जन्म लिया है। फिर बड़ी होने पर वही लड़की विवाहोपरान्त दूसरे घर में प्रवेश करती थी तो वहाँ भी ससुराल के लोग उसे लक्ष्मी का दर्जा ही दिया करते थे। पहले कोई स्त्री बहन, बेटी, अथवा रिश्ते में किसी भी रूप में हो वह घर की चारदीवारी के अन्दर स्वयं को सुरक्षित महसूस करती थी। परन्तु समय के साथ हुए बदलाव ने उसी स्त्री को चारदीवारी के भीतर ही असुरक्षित बना दिया है। ऐसा इसलिए कि उसके पति, सास-ससुर नन्द-भौजाई अथवा घरेलू रिश्तेदारी के अन्य लोगों द्वारा उसे कभी दहेज के लिए तो कभी पुत्र को जन्म न दे पाने के कारण ताने दिए जाने लगे और उसके साथ हिंसात्मक बर्ताव किया जाने लगा। इससे स्त्री घर की चारदीवारी में स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगी। अतः घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को संरक्षण प्रदान किए जाने के लिए ही महिला संरक्षण अधिनियम लाया गया है।

इस अधिनियम में शारीरिक प्रताड़ना, लैंगिक दुरूपयोग, मौखिक एवं भावनात्मक प्रताड़ना तथा आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने पर पीड़ित को न्याय प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। शारीरिक प्रताड़ना के अन्तर्गत सम्बन्धित महिला के साथ मार-पीट करना, उसके किसी शारीरिक अंग को क्षति पहुँचाना और उसके स्वास्थ्य को जानबूझकर नुकसान पहुँचाना आदि शामिल है। लैंगिक दुरुपयोग से तात्पर्य उस महिला के सम्मान को ठेस पहुँचाना, अपमान अथवा तिरस्कार करना शामिल है।

अभी तक घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के द्वारा अपने हक के लिए आवाज न उठाने का सबसे बड़ा कारण यह था कि वह आर्थिक रूप से अपने परिवार के किसी पुरुष सदस्य पर पूर्णतः निर्भर होती थी अथवा उसे यह भय सताता था कि यदि उसने आवाज उठाई तो उसे घर में रहने नहीं दिया जाएगा। इन परिस्थितियों में यदि पीड़ित महिला को न्याय मिलने में विलम्ब हो गया और इस दौरान उसे घर से निकाल दिया गया तो वह कहाँ रहेगी, उसका दैनिक खर्च कैसे चलेगा। समाज में उसे कोई उचित स्थान मिल पाएगा अथवा नहीं।

इन्हीं उपरोक्त कारणों से पीड़ित महिलाएँ अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों को सहते हुऐ पीड़ा पहुँचाने

वाले के खिलाफ कुछ भी कहने से भयभीत रहती थीं और अत्याचार सहती रहती थी। इसी दृष्टिकोण से घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को संरक्षण देने में यह महिला संरक्षण अधिनियम कारगर सिद्ध होगा।

किसी महिला को घर में ही प्रताड़ित किए जाने की स्थिति में व्यक्ति द्वारा उस महिला के साथ मौखिक और भावनात्मक दुरुव्यवहार किया जाना, पीड़ित महिला का उपहास, तिरस्कार करना और गाली देने के साथ ही सन्तान या बेटा न होने के कारण ताने देना और उसका सामाजिक तौर पर भी अपमानित करना आदि शामिल है।

आर्थिक दुरुपयोग के अन्तर्गत सम्बन्धित महिला जिन किसी पारिवारिक वस्तुओं के उपयोग के लिए अधिकारी है उसे उन वस्तुओं के प्रयोग से वंचित करना, गृहस्थी के रख-रखाव में अड़चन उत्पन्न करना, मायके से धन अथवा कोई अन्य कीमती वस्तु लाने के लिए दबाव बनाना तथा धमकी देने के साथ ही घरेलू कार्य के लिए तथा बच्चों एवं महिला को खर्च के लिए पैसे न देना आदि आर्थिक अपराध हिंसा के अन्तर्गत शामिल है।

इस कानून के प्रावधान के अन्तर्गत हर जिले में एक संरक्षण अधिकारी/प्रोटेक्शन अधिकारी की नियुक्ति की गई है। कुछ राज्यों में महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रोटेक्शन अधिकारी बनाया गया है। यदि कोई महिला पारिवारिक हिंसा के किसी भी रूप से प्रताड़ित अथवा पीड़ित है तो वह संरक्षण अधिकारी के पास अपनी शिकायत कर सकती है। सम्बन्धित पीड़ित महिला की शिकायत के तीन दिन में सम्बन्धित प्रोटेक्शन अधिकारी को तरीख तय करना होगा और प्राप्त शिकायत पर साठ दिनों के भीतर फैसला करना होगा। प्रोटेक्शन अधिकारी का यह दायित्व है कि वह पीड़ित महिला की पूरी मदद करे।

वैसे तो इस कानून को पुलिस की कार्यवाही से दूर रखा गया है। परन्तु, यदि कोई गम्भीर हिंसा की घटना हो तो संरक्षण अधिकारी द्वारा सम्बन्धित घटना की जानकारी पुलिस को देनी होगी। इस स्थिति में पुलिस हिंसा करने वाले अथवा वालों पर रोक लगा सकती है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की सार्वभौमिकता के महत्व को व्याख्यायित करते हुए कहा कि यह कानून देश की सभी महिलाओं पर लागू होता है। पीड़ित महिला चाहे किसी भी धार्मिक या सामाजिक पृष्ठभूमि से सम्बन्धित हो, उसे इस महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अन्तर्गत न्याय पाने का अधिकार है।

पीड़ित महिला घरेलू हिंसा के तुरन्त बाद, हिंसा होते समय अथवा हिंसा होने की आशंका पर शिकायत कर सकती है। ऐसी शिकायत फोन अथवा मोबाइल के माध्यम से अथवा ई-मेल द्वारा और लिखित रूप से स्वयं उपस्थित होकर अथवा किसी के माध्यम से शिकायत भेजकर संरक्षण अधिकारी को की जा सकती है। यदि महिला को घर-परिवार में असुरक्षा महसूस हो रही है तो उसकी माँग पर संरक्षण अधिकारी द्वारा उस पीड़ित महिला को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि पीड़ित महिला द्वारा किसी प्रकार की शारीरिक पीड़ा अथवा क्षति की सूचना दी जाती है तो संरक्षण अधिकारी द्वारा उसे तुरन्त चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कर उसकी सम्यक जाँच कराई जाएगी। □□□

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सन्ध्या तिवारी, निदेशक, इण्डिया लिटरेसी बोर्ड, साक्षरता निकेतन, लखनऊ द्वारा इण्डिया लिटरेसी बोर्ड, लखनऊ के लिए इण्डिया लिटरेसी बोर्ड की वेबसाइट- www.indialiteracyboard.org पर उजाला- ई न्यूज़ लेटर के रूप में प्रकाशित।
सम्पादक : सुधीर कुमार श्रीवास्तव